राजस्थान आवासन मण्डल

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और आवास/फ्लैट बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- आवास/फ्लैट के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के आवास/फ्लैट के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में आवास/फ्लैट आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे आवास/फ्लैट में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का आवास/फ्लैट खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्कसंगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आर्कषक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद–रूप से मंडल के आवास/फ्लैट सस्ते पड़ते हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल

महला योजना, जयपुर में अल्प आय वर्ग (जी+3) फ्लैटों हेतु

''पंजीकरण योजना–वर्ष–2014–तृतीय चरण''

(सभी आवेदकों हेतु)

प्रस्तावित कार्यक्रम

1. आवेदन–पत्र की बिक्री तिथि :	15.10.2014 से 14.11.2014 तक
2. आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:	14.11.2014

3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान	अंतिम तिथि के पश्चात् मंडल की वेबवाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर – 302015 फोन नं. : 0141–2740667	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम सैक्टर–5, प्रताप नगर, जयपुर फोन नं. : 0141–2791320	आवासीय अभियन्ता खण्ड–दशम् राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन नं.: 0141–2791648

विशेषः

1. प्रस्तावित योजना के आवेदन पत्र निम्नांकित स्थानों/ कार्यालयों से राशि रुपये 300/– भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर पूर्ण करते हुए निर्धारित तिथि तक इन्ही स्थानों/कार्यालयों में जमा करवाये जा सकते है:–
   - आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., आर.एच.बी. कार्यालय परिसर, सैक्टर–5, प्रताप नगर, जयपुर दूरभाष : 0141–9214200272, 9214200197
   - पंजाब नेशनल बैंक, रा.आ.म., वृत्त प्रथम कार्यालय, सैक्टर–5, सांगानेर, जयपुर दूरभाष : 0141–2797054, 2797056
   - सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, राज. आवासन मण्डल मुख्यालय, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष : 0141–2744735
   - यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एम.आई.रोड., जयपुर – दूरभाष – 0141–2362549
   - आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., विक्रमादित्य मार्ग, मानसरोवर, जयपुर – दूरभाष : 0141–3211377
2. आवेदन मण्डल की Website: www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। डाउनलोड आवेदन पत्र की कीमत रु. 300/– पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा राशि की डी.डी./ पे ऑर्डर में शामिल कर जमा करानी होगी।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः–

1. आपके द्वारा जिस आय वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि **''राजस्थान आवासन मण्डल''** के पक्ष में **जयपुर** स्थित किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मय चालान की प्रति के संलग्न कर दिया गया है।

2. आवेदन–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं सत्यापित करा दिये गये हैं।

3. आवेदन–पत्र पर लगाये गये फोटो राजपत्रित / नोटेरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित करा ली गई है।

4. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है, भर दी गई है।

5. आवेदन–पत्र के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार वरीयता लॉटरी में सफल होने पर उक्त बिन्दु में अंकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति / नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मण्डल के निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराते हुए प्रस्तुत कर दूंगा। मेरे द्वारा उक्त प्रपत्र में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में मण्डल मेरा पंजीकरण बिना किसी सूचना के निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

''पंजीकरण योजना–वर्ष–2014–तृतीय चरण''

(सभी आवेदकों हेतु)

महला योजना, जयपुर में अल्प आय वर्ग के (जी+3) फ्लैटों हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में आवासों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

''पंजीकरण योजना–वर्ष–2014–तृतीय चरण'' का विवरण

इस योजना में प्रस्तावित फ्लैट का विवरण आयवर्गानुसार निम्नानुसार है:–

तालिका–1

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या		फ्लैट का क्षेत्रफल SBA (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1.	अल्प आय वर्ग	भूतल	76	47.15	12.40
		प्रथम तल	76	47.15	12.15
		द्वितीय तल	76	47.15	12.05
		तृतीय तल	76	47.15	11.90
		कुल	304		

नोटः–

(i) फ्लैटों की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में फ्लैट की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा फ्लैट आवंटन के समय लागत सिद्धान्तों अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप / विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएं:-

यह आवासीय योजना जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से 0.5 किलोमीटर अन्दर की तरफ जोबनेर रोड़ पर अवस्थित है। इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्न है :-

1	सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड	39.00 कि.मी.
2.	जयपुर रेलवे स्टेशन	37.00 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

फ्लैटस् का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन–पत्र भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर अथवा किन्ही दो शहरों में फ्लैट का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास/फ्लैट आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है, तो वह इस योजना में फ्लैट आवंटन का पात्र नहीं होगा।

2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही फ्लैट आवंटन की पात्रता रखेगा।

3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।

4.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)

5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक फ्लैट का आवंटन नहीं किया गया है एवं यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार परफ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई फ्लैट आवंटित किया गया है।

7. मण्डल द्वारा फ्लैटों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:–

तालिका–4

वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा	LIG श्रेणी के आरक्षित फ्लैट संख्या
जी–1	वैतनिक श्रेणी–प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम के कर्मचारी/ प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी)	18 प्रतिशत	55
	वैतनिक श्रेणी–द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	10 प्रतिशत	30
जी–2	सामान्य श्रेणी–प्रथम	29 प्रतिशत	88
	द्वितीय– (केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स)	05 प्रतिशत	15
जी–3	मण्डल–कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत	3
जी–4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	49
जी–5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	36
जी–6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/ सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत	5
जी–7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	2
जी–8	भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत	9
जी–9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत	9
जी–10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 प्रतिशत	3
	योग	100 प्रतिशत	304

नोटः–I. उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक फ्लैट आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित फ्लैट सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे।

II श्रेणीवार आरक्षण कोटा अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र/शपथ–पत्र वरीयता लॉटरी में सफल घोषित होने पर अनिवार्य–रूप से देना होगा अन्यथा आवेदक का पंजीकरण निरस्त कर नियमानुसार कटौति कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

8- यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाऐं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

9- फ्लैटों का आवंटन नगद भुगतान तथा किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित फ्लैटों में 45 प्रतिशत फ्लैट नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जायेंगे। प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जाएगा।

10. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक–व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस अल्प आय वर्ग के आवेदकों द्वारा रुपये 700/– देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जाएगा।

11. उपरोक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली पंजीकरण राशि एवं प्रोसेसिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका–3

आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस	कुल देय राशि
अल्प आय वर्ग	1,00,001 से 2,50,000/–तक	15,000/–	700/–	15,700/–

अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।

ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना, वायुसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी वीरांगनाऐं निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।

नोट: यदि आवेदन पत्र मण्डल की www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रुपये 300/– पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

12 पंजीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष *जयपुर* में देय होना आवश्यक है। आवेदन–पत्र संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय **उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर** अथवा निर्धारित बैंकों में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त पंजीकरण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

13. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के फ्लैटों हेतु मध्यम आय वर्ग(ब) व उच्च आय वर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेगें तथा पात्रता आय वर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

14. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:–

(अ) स्वंय के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

15 फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ होते ही सफल आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि के पत्र जारी किये जायेंगे, जिसमें निम्नानुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय पूर्वग्रहण राशि का भुगतान, पत्र जारी होने की तिथि से क्रमशः एक, चार व सात माह में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यदि आवेदक राशि जमा कराने की सूचना नहीं देने के कारण लाटरी से वंचित रहता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल फ्लैट का आवंटन नहीं करेगा एवं पंजीकरण नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा पंजीकरण राशि में से नियमानुसार 20 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। मण्डल प्रथम पूर्वग्रहण राशि जमा होने पर आवेदक को लाटरी द्वारा फ्लैट आवंटन के लिये स्वतंत्र होगा।

फ्लैट की आय वर्गानुसार ली जाने वाली पूर्वग्रहण राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका–4

क्र. सं.	आय वर्ग	किश्त (रुपये में)			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000

16. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख–रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर–टेकिंग देने पर ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जावेगा।

17. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार एवं विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध फ्लैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बैंक से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

18. मण्डल द्वारा एक शहर में एक ही समयावधि में विभिन्न वृतों में एक साथ योजनाऐं आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में फ्लैट प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छुपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आऐगा तो आवेदक एक ही फ्लैट हेतु योग्य रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।

19. रिफण्ड

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। प्रोसेसिंग फीस की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

(ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र/ पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iii) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

20. प्रस्तावित योजना, आवेदकों की वरीयता निर्धारण के पश्चात्, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

21. फ्लैट आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों/मण्डल की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमुनसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

22. मण्डल निर्मित फ्लैटों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारण करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

23. किराया क्रय पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर तथा फ्लैट का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत आंवटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन–पत्र पूर्व में जारी आवंटन पत्र के निरन्तर कम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास/फ्लैट की एक मुश्त (नकद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ती/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आवंटित फ्लैट की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नकद भुगतान पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

24. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लैट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लैट की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन–पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर फ्लैट का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

25. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार न्यूनतम प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान हीफ्लैटों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लैट के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्चे देय होंगे जिनका फ्लैट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:–

क. ए.एस.सी. (एन्सीलरी सर्विस चार्जेज) : यह राशि मध्यम आय वर्ग 'अ'/'ब' /उच्च आय वर्ग के फ्लैटों के लिए कुल कीमत का 3 प्रतिशत होगा।

ख. लीज राशि : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

ग. किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा मे जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।

घ सेवाकर : यह राशि आवंटन पत्र की कुल मांग राशि की 3.09 प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगी।

ड़ **विधिक शुल्क** – मण्डल के आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न परिवादों के लिए मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय हेतु अल्प आय वर्ग हेतु रु. 300/– की राशि वसूलनीय होगी।

य. **अन्य खर्चे :**

(I) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा वसूलनीय कर यथा सर्विस टैक्स, सैस आदि भी मांग अनुसार आवंटी को पृथक से जमा करवाने होगें।

27. मण्डल के फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नही करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास/फ्लैट सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास/फ्लैट का आवंटन/कब्जा हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास/फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी एवं मण्डल आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :–

1- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
2- सेनेटरी फिटिंग
3- अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

31. मण्डल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लैटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

32 योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप–बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा तथा पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया बाध्यकारी होंगे।

34 सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को आवंटित सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और कब्जा लेने के बाद में किसी आगामी स्तर पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

36 (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। **पता परिवर्तन कराते समय वांछित**

दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

36. यदि आवेदक आवास/फ्लैट आवंटन के पश्चात् मंडल को देय राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करता है तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं होगी।

37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा– आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।

39. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट इंगित की जानी चाहिए यदि नहीं करता है तो उसे क्रिराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जावेगा।

40 आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवदेन पत्र को भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वंय पूर्ण हस्ताक्षर करें।

41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

I. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

ii दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।

iii. आवेदन–पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।

iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (वरीयता लॉटरी में सफल होने पर) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति वरीयता लॉटरी में सफल होने पर प्रस्तुत करनी होगी।

vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन, पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

vii. लाटरी से जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा, परन्तु नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित/विक्रित फ्लैट का परिवर्तन (Exchange) आवंटियों की आपसी सहमति पर किये जाने की स्वीकृति मण्डल द्वारा प्रदत्त की जायेगी, जिसके लिए फ्लैट के विक्रय मूल्य की 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क मण्डल में जमा कराना होगा।

viii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

ix. फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लैट का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

x. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद **जयपुर** शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

xi. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा सयुंक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।

xii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

xiii. आवंटी से यह उम्मीद की जाती है कि उनको आवंटित फ्लैट में उपलबध कराई गई सभी सुविधाओं को भली–भाँति देख ले। आवंटी द्वारा मण्डल से कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् फ्लैट में किसी कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।

xiv उक्त योजना के माध्यम से आवंटित फ्लैट किन्हीं कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ठ हो जाता है तो ऐसे अवशिष्ठ फ्लैट का निस्तारण खुली बिक्री योजना अथवा नीलामी के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

xv. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल के संबंधित कार्यालय एवं बैंकों के निम्नलिखित कार्यालय से रुपये 300/– नकद देकर व्यक्तिशः अथवा रुपये 350/– का बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर, जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पक्ष में **जयपुर** स्थित किसी भी बैंक में देय हो, उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, राज. आवासन मण्डल, सैक्टर–5, प्रताप नगर, जयपुर को भेजकर डाक से प्राप्त करके आवेदन–पत्र पूर्ण करने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कराए जा सकते है।

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
जयपुर	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, सैक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर दूरभाष : 0141–2791320

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बैंक कार्यालयों से भी आवेदन पुस्तिका नकद भुगतान कर प्राप्त की जाकर पूर्ण करने के पश्चात् आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कराई जा सकती है:–

- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., आर.एच.बी. कार्यालय परिसर, सैक्टर–5, प्रताप नगर, जयपुर दूरभाष : 0141–9214200272, 9214200197
- पंजाब नेशनल बैंक, रा.आ.म., वृत्त प्रथम कार्यालय, सैक्टर–5, सांगानेर, जयपुर दूरभाष : 0141–2797054, 2797056
- सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, राज. आवासन मण्डल मुख्यालय, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष : 0141–2744735
- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एम.आई.रोड., जयपुर – दूरभाष – 0141–2362549
- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., विकमादित्य मार्ग, मानसरोवर, जयपुर – दूरभाष : 0141–3211377

2. आवेदन मण्डल की Website: www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। डाउनलोड आवेदन पत्र की कीमत रु. 300/– पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा राशि की डी.डी./ पे ऑर्डर में शामिल कर जमा करानी होगी।

सभी आवेदकों के लिए
(वरीयता निर्धारण लॉटरी में सफल होने पर)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु...... ....वर्ष, जाति............................ निवासी ....एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास **जयपुर** शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक फ्लैट/भूखण्ड नहीं है।
3. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास पूर्व में राज्य के **जयपुर**. शहर में आवासन मण्डल से सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री एवं नीलामी आदि द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या .... योजना .... में आवंटित है/आवंटित था।
4. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा/ रहूंगी।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
6. यह कि मेरे द्वारा **जयपुर**.स्थित मण्डल की .... में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 6 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र/पत्नी श्री ....आयु.......... .... जाति .... निवासी .... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:–

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 20....– 20.... में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी:–
   अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रुपये है।

   ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय .... रुपये है।

   स. कि वितीय वर्ष 20.....–20...... में मेरे परिवार की कुल आमदनी ....रुपये है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में.. .... पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रुपये ....प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी...जिला ....संभाग.........................राज्य ....जाति ....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... जिला .... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष .... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... ने वर्ष .... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....
2. ....
3. ....

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री./श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी ग्राम.............................. जिला.......................... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाण पत्र
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. श्री...निवासी.. .... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. क्षेत्र .... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र .... के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, जिला .... से सत्र .... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

मूल्य : 300 रु./–

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

"पंजीकरण योजना–वर्ष–2014–तृतीय चरण"

महला आवासीय योजना

अल्प आय वर्ग (जी-3) के फ्लैटों हेतु

(सभी आवेदकों हेतु)

आवेदक/आवेदिका का नवीनतम फोटो

राजपत्रित/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित

आवेदन क्रमांक 1803

आवेदन–पत्र

1	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/श्रीमती ....
2	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री ....
3	जन्म तिथि	....
4	राष्ट्रीयता	....
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स आधार कार्ड/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज........
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यूआई.डी.) नम्बर (यदि हो तो)	....
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित (√) करें (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक ☐ अवैतनिक ☐
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जावेगा)	.... दूरभाष नं. .... मोबाइल नं .... ई–मेल पता ....
9	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 20.......–20.......) पैन नम्बर, (लागू हो तो) .... **(आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)**	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी/पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
10	यदि आवेदक पूर्व पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें	
	क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है:	
	ख. पंजीकरण का वर्ष	
	ग. वरीयता क्रमांक :	
	आवेदित पंजीकरण का विवरण	
11	पंजीकरण राशि रु0	वर्तमान आवेदित आय वर्ग ....
12	संलग्न बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम	.... दिनांक .... रु. ....

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवेदन–पत्र प्राप्ति रसीद

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

1803 महला आवासीय योजना, जयपुर में अल्प आय वर्ग (जी-3) के फ्लैटों हेतु

"पंजीकरण योजना–वर्ष–2014–तृतीय चरण"

(सभी आवेदकों हेतु)

श्री .... से महला आवासीय योजना, जयपुर हेतु ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन–पत्र का प्राप्त किया मय बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... शाखा........ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
नाम व पदनाम की मोहर सहित

कार्यालय की मोहर
(नोटः उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करे।)

13 भुगतान की पद्धति इंगित (✓) क॰ (आवेदक को परामर्श है कि कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)

किराया क्रय ☐ नकद भुगतान पद्धति ☐

14 आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक-रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उपरोक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैक संलग्न करेगें:-

आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण) : ____________ खाता संख्या (सम्पूर्ण) : ____________

खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई.) : ____________ बैंक शाखा का पता : ____________

____________ मोबाइल नम्बर : ____________

15 निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (✓) करें :

जी-1: वैतनिक श्रेणी- प्रथम-(केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) द्वितीय-(राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	जी-2: प्रथम-सामान्य श्रेणी द्वितीय- (एडवोकेट, चार्टेड एकाउन्टेंट एवं प्राईवेट डॉक्टर) केवल प्रोफेश्नल
जी-3: मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी-4: अनु.जाति
जी-5: अनु. जनजाति	जी-6: वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/ सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार
जी-7: स्वतंत्रता सैनानी	जी-8: भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाऐं
जी-9: विकलांग (अन्धता, शारीरिक व मूक बधिर)	जी-10: वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी

16 निम्नांकित तालिका में अंकित मूल/सत्यापित प्रमाण-पत्र वरीयता लॉटरी में सफल होने पर 15 दिवस में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे:-

(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पते का प्रमाण पत्र
(स) आय का प्रमाण प्त्र
(द) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (य) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो)
(र) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो)
(ल) स्वयं अथवा पति-पत्नी अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि/भवन न होने संबंधी शपथ पत्र।
(व) अन्य वांछित प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र।

17 घोषणा :-

1. मैं, ____________ (नाम) पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री ____________ आयु ____ वर्ष, जाति ____________ निवासी ____________ इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं भारत का/की नागरिक हूं तथा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
3. मेरा या मेरे आश्रितों का आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।
4. मेरा या मेरे आश्रितों को अन्यत्र शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी/माप का आवास आरक्षित/आवंटित है/ नहीं है।
5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
6. आवास का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् आवास में होने वाली टूट-फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
7. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि वरीयता निर्धारण लॉटरी में सफल होने पर आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 15 में अंकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति/नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मण्डल के निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराते हुए प्रस्तुत कर दूंगा। मेरे द्वारा उक्त प्रपत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किए की दशा में मण्डल मेरा पंजीकरण, बिना किसी सूचना के, निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
8. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूं:-

क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका
नाम ____________

दिनांक ____________
स्थान ____________

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

पंजीकरण योजना वर्ष 2014–तृतीय चरण

महला आवासीय योजना

में अल्प वर्ग (जी+3) के फ्लैटों हेतु

(सभी आवेदकों हेतु)

1.	सेक्टर/कॉलोनी का नाम	:	महला आवासीय योजना, जयपुर
1.	योजना का नाम	:	महला आवासीय योजना, जयपुर में अल्प आय वर्ग (जी+3) के फ्लैटों हेतु
1.	आवेदक/ आवेदिका का नाम	:	....
1.	पत्र व्यवहार का पता		....
1.	बैंक डी.डी. नम्बर, बैंकर चैक व पे–ऑर्डर नम्बर दिनांक		....
1.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दों में)		रुपये .... रुपये ....

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः—

1. आपके द्वारा जिस आय वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि **''राजस्थान आवासन मण्डल''** के पक्ष में **जयपुर** स्थित किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है। बैंक ड्राफ्ट तथा चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

2. आय का प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया है।

3. आवेदन–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं सत्यापित करा दिये गये हैं।

4. आवेदन–पत्र पर लगाये गये फोटो राजपत्रित अधीकारी/ नोटेरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित करा ली गई है।

5. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिये गये है।

6. चैक लिस्ट एवं आवेदन पत्र परीक्षण सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

7. आवेदक की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, नियोक्ता का पहचान पत्र इत्यादि की प्रति लगा दी गई है।

8. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है, भर दी गई है।

*****

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

''पंजीकरण योजना–वर्ष–2014–द्वितीय चरण''

(सभी आवेदकों हेतु)

महला योजना, जयपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) तथा मध्यम आय वर्ग–अ के (जी+3) फ्लैटों हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गो के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे मकान बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

"पंजीकरण योजना, वर्ष 2014'' का विवरण

जयपुर शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाऐं यथाः जवाहर नगर, ज्योति नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर योजना, यजपुर की सफलता के पश्चात् जयपुर में महला आवासीय योजना – आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग–अ के आवेदकों हेतु प्रारम्भ करने जा रहा है। यह आवासीय योजना जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से 0.5 किलोमीटर अन्दर की तरफ जोबनेर रोड़ पर अवस्थित है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) के 112 तथा मध्यम आय वर्ग–अ के 128 बहुमंजिले (जी+3) फ्लैट निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका–1

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या		फ्लैट का क्षेत्रफल SBA (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	भूतल	28	32.39	7.65
		प्रथम तल	28	32.39	7.50
		द्वितीय तल	28	32.39	7.45
		तृतीय तल	28	32.39	7.40
		कुल	112		
2.	मध्यम आय वर्ग–अ	भूतल	32	74.61	19.70
		प्रथम तल	32	74.61	19.20
		द्वितीय तल	32	74.61	19.10
		तृतीय तल	32	74.61	18.85
		कुल	128		

पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

9. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाऐं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/ आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

10. आवासों का आवंटन नगद भुगतान तथा किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जायेंगे।

11. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग–अ के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक–व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 500 एवं 1000/– कमशः देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/ समयोजन नहीं किया जाएगा।

12 उपरोक्त योजनार्न्तगत आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली पंजीकरण राशि तथा प्रोसेसिंग फीस का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–3

आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस	कुल देय राशि
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1,00,001 तक	7000/–	500/–	7500/–
मध्यम आय वर्ग–अ	2,50,001/– से 4,50,000/– तक	रु. 50,000/–	1000/–	51,000/–

अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना, वायुसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी वीरांगनाऐं निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं।

नोटः
यदि आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रुपये 300/– पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

13 पंजीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष जयपुर में देय होना आवश्यक है। आवेदन–पत्र संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड–दशम्, राजस्थान आवासन मण्डल, 101/37, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, फोन नं.: 0141–2791648 अथवा निर्धारित बैंकों में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त पंजीकरण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

14. आय वर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होगें। आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के आवासों हेतु मध्यम आय वर्ग(ब) व उच्च आय वर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगें तथा पात्रता आय वर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

15. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगीः–

(अ) स्वंय के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

16. आवासों का निर्माण प्रारम्भ होते ही सफल आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि के पत्र जारी किये जायेंगे, जिसमें निम्नानुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय पूर्वग्रहण राशि का भुगतान, पत्र जारी होने की तिथि से क्रमशः एक, चार व सात माह में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यदि आवेदक राशि जमा कराने की सूचना नहीं देने के कारण लाटरी से वंचित रहता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल आवास का आवंटन नहीं करेगा एवं पंजीकरण नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा पंजीकरण राशि में से नियमानुसार 20 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। मण्डल प्रथम पूर्वग्रहण राशि जमा होने पर आवेदक को लाटरी द्वारा आवास आवंटन के लिये स्वतंत्र होगा।

आवास/फ्लैट की आयवर्गानुसार ली जाने वाली पूर्वग्रहण राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–4

क्र. सं.	आय वर्ग	किश्त (रुपये में)			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5000	5000	5000	15000
2	मध्यम आय वर्ग–अ	40,000	40,000	40,000	1,20,000

17. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख–रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर–टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।

18. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बैंक से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

19. मण्डल द्वारा एक शहर में एक ही दिन विभिन्न वृतों में एक साथ योजनाऐं आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने का पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छुपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आऐगा तो एक आवास सदैव निरस्त योग्य रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।